

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

2/नि. स्था. (विविध-12) - 31/2014

श्रीमती लीला श्रीवास्तव, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने हेतु किये गये अनुरोध संबंधी आवेदन दिनांक 05.05.2014 एवं दिनांक 27.06.2014 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-74(ख)(i)(ii)(iii) एवं वित्त विभाग के ज्ञापांक पी.सी.2-9-8/78/6190 वि., दिनांक 27.04.79 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन दिनांक 05.08.2014 के अपराहन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत किया जाता है।

2. उपर्युक्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप श्रीमती श्रीवास्तव के सेवान्त लाभों का निस्तार संगत प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार किया जा सकेगा।

3. कार्यालय आदेश संख्या 3452 दिनांक 27.06.14 द्वारा श्रीमती श्रीवास्तव का किए गए स्थानान्तरण का कार्यान्वयन इनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मद्देनजर स्थगित रहेगा।

4. उपर्युक्त स्वीकृति में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-

(पी.के.सिन्हा)

अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3563 / पटना, दिनांक 03.07.14
2/नि. स्था. (विविध-12) - 31/2014

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ तथा श्रीमती लीला श्रीवास्तव, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/2014

अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।